# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**अपील संख्या – 1842/2013/अजमेर**

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त,
अजमेर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स बंशीवाला आयरन एण्ड स्टील रोलिंग मिल्स,
अजमेर। .....प्रत्यर्थी

**एकलपीठ**
**श्री नत्थूराम, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री जमील जई,
उप राजकीय अधिवक्ता ........अपीलार्थी की ओर से

श्री ओ.पी.माहेश्वरी, .........प्रत्यर्थी की ओर से

सी.ए.

**निर्णय दिनांक : 20/09/2017**

## निर्णय

1. उपर्युक्त अपील अपीलार्थी की ओर से उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 82 में अपील सं. 65/2012–13/वेट/अजमेर में पारित किये गये आदेश दिनांक 22.05.2013 के विरूद्ध धारा 83 में प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त अजमेर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2012 को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी ने माना कि व्यवहारी के द्वारा राज्य व अन्तरराज्यीय खरीद में से कर मुक्त माल का निर्माण करते हुए अन्तरराज्यीय खरीद किये गये कच्चे माल से किये जाने पर बिक्रीत रू. 36,60,525/– को कर मुक्त माल के निर्माण दर्शाया जिसे कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा प्रत्यर्थी के तथ्य को बेबुनियाद मानते हुए अस्वीकार किया कि " प्रत्यर्थी ने कर मुक्त माल के विनिमार्ण हेतु राज्य के बाहर से खरीद किये गये कच्चे माल को ही उपयोग किया गया" जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने वेट एक्ट की धारा–18 के तहत कर मुक्त माल के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त माल पर आईटीसी रू. 1,14,827/– को रिवर्स करते हुए अस्वीकार किया तथा इस रिवर्स आईटीसी की कमी पाये जाने पर कम कर राशि जमा मानते हुए रू 93,778/– पर 28 माह का ब्याज रू 26,250/– आरोपित किया जिसे इस अपील में विवादित किया। उक्त आधार पर सशक्त अधिकारी द्वारा

2272

लगातार...............2

प्रत्यर्थी व्यवहारी पर मांग राशियां आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर आरोपित मांग राशियों को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी—विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि उपायुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 18 के अनुसार व्यवसायी द्वारा राज्य में खरीद माल की आई.टी.सी. में से राज्य के बाहर से खरीद माल का कर मुक्त माल के उपयोग पर आई.टी.सी. क्लेम ही नहीं किया तो आई.टी.सी रिवर्स करना अविधिक है जबकि व्यवसायी के इस तथ्य को बेबुनियाद मानते हुये आई.टी.सी. अस्वीकार किया था कि "व्यवसायी ने कर मुक्त माल के विनिर्माण हेतु राज्य के बाहर से खरीद किये गये कच्चे माल को ही उपयोग किया गया हो" के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया था जिसे अपीलीय अधिकारी ने बिना किसी आधार के अस्वीकार कर व्यवसायी की अपील अस्वीकार की है। इन्होंने आगे कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि विद्धान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आईटीसी रू 1,14,827/— को इस आधार पर रिवर्स किया कि प्रत्यर्थी के द्वारा कच्चे माल का उपयोग करमुक्त माल के निर्माण में किया। विद्धान कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा प्रत्यर्थी के आधारों व तर्को को विपरीत व विधि विरूद्ध बताते हुए बताया कि प्रत्यर्थी की ओर से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया कि "कर मुक्त माल के कच्चे माल का आईटीसी क्लेम नहीं किया गया है, कथन के समर्थन में खरीद का प्रमाण, स्टॉक रजिस्टर, निर्माण खाता एवं ऑडिट रिपोर्ट आदि प्रस्तुत किये गये। रिकार्ड से यह भी अवगत कराया जाना बताया कि राज्य के बाहर से आयातित माल का कच्चा माल करमुक्त माल के निर्माण के उपयोग में लिया गया जिसका हिसाब अलग से लेखों में रखा गया है। राज्य में से खरीदे गये कच्चे माल का उपयोग कर मुक्त माल के निर्माण में नहीं किया गया हैं फर्म का रॉमेटेरियल रजिस्टर में कच्चा माल में से 4 प्रतिशत वेट इनपुट देकर खरीदा है जिसका उपयोग करयोग्य उत्पाद में किया गया है तथा कच्चा माल सीएसटी 2 प्रतिशत देकर इन्टरस्टेट से खरीद गया जिसको करमुक्त माल बनाने मे उपयोग किया। इस प्रकार प्रत्यर्थी के द्वारा कच्चे माल का अलग—अलग हिसाब रखा है। इस प्रकार फर्म पिछले लगभग 50 वर्षो से सरिया, पत्ती ऐंगल, चैनल व सब्बल का निर्माण किया जाना बताते हुए फर्म अलग से कच्चे माल को रखने की व्यवस्था होना बताया है तथा व्यवसायी के द्वारा किसी प्रकार से करमुक्त माल पर वेट क्लेम नहीं किया, फिर भी विद्धान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी प्रकार के करमुक्त माल का निर्माण में आईटीसी रिवर्स किया जो विधिविरूद्व है। आगे तर्क किया कि प्रत्यर्थी इसी प्रकरण से संबंधित वर्ष 2008—09 के कर निर्धारण आदेश

लगातार.....3

के विरूद्ध अपील स्वीकार होना बताया तथा जिसके सही होने के पुष्टि माननीय कर बोर्ड, अजमेर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.04.2013 के द्वारा किया जाना बताया। अतः उन्होंने प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :—

7. विचाराधीन प्रकरण में व्यवहारी द्वारा राज्य व अन्तरराज्यीय खरीद में से कर मुक्त व कर योग्य माल का निर्माण किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी ने आई.टी.सी. रू 1,14,827/— को इस आधार पर रिवर्स किया है कि अन्तरराज्यीय खरीद को कर मुक्त माल में उपयोग में लिया ऐसा कोई प्रमाणित तथ्य नहीं है। व्यवहारी का कथन था कि राज्य के बाहर से खरीद माल को ही कर मुक्त माल में ही उपयोग लिया है और इस कर मुक्त माल पर आई.टी.सी. क्लेम नहीं किया है, राज्य में ही खरीद माल से विनिर्माण हेतु प्रयुक्त माल पर आई.टी.सी. क्लेम किया है तथा राज्य के बाहर से खरीद माल को कर मुक्त माल में उपयोग में लिये गये माल पर आई.टी.सी. क्लेम ही नहीं किया है। व्यवसायी ने अधीनस्थ न्यायालय में खरीद का प्रमाण, स्टॉक रजिस्टर, निर्माण खाता व ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना बताया है। इस प्रकार जब व्यवसायी ने अपने लेखों में हिसाब—किताब प्रस्तुत किया है तो कर निर्धारण का यह दायित्व था कि वे अपने निर्णय में स्पष्ट करते कि व्यवसायी द्वारा क्लेम किया गया इनपुट टैक्स किस आधार पर देय नहीं है व लेखों में दर्शाये गये विवरण में कौनसा विवरण विश्वसनीय नहीं है तथा किस आधार पर। कर निर्धारण अधिकारी ने अनुमान के आधार पर आई.टी.सी. रिवर्स किया है जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपास्त किया है तथा इसमें इस स्तर पर हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा अपील संख्या 406/2012/अजमेर वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम बंशीवाला आयरन एंड स्टील में पारित निर्णय दिनांक 18.04.2013 से भी उपरोक्त धारणा की पुष्टि होती है।

8. उपरोक्त विवेचचन एवं विश्लेषण के आधार पर राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है।

9. निर्णय सुनाया गया।

( नत्थूराम )
सदस्य